प्रकाशन का 43 वां वर्ष
सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित
शैल
निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार
ई – पेपर
प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक
www.facebook.com/ shailshamachar
वर्ष 43 अंक – 28 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 16 – 23 जुलाई 2018 मूल्य पांच रूपए

क्या अवैध निर्माणों पर शिमला में भी कसौली ही दोहराया जायेगा

शिमला/शैल। एनजीटी ने 16 नवम्बर 2017 को योगेन्द्र मोहन सेन गुप्ता और शिला मलहोत्रा मामलों में दिये फैसलों में स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि We hereby prohibit new construction of any kind, i.e. residential, institutional and commercial to be permitted henceforth in any part of the Core and Green/Forest area as defined under the various Notifications issued under the Interim Development Plan as well, by the State Government. इसी फैसले में यह भी कहा है कि Wherever unauthorised structures, for which no plans were submitted for approval or NOC for development and such areas falls beyond the Core and Green/Forest area the same shall not be regularised or compounded. However, where plans have been submitted and the construction work with deviation has been completed prior to this judgement and the authorities consider it appropriate to regularise such structure beyond the sanctioned plan, in that event the same shall not be compounded or regularised without payment of environmental compensation at the rate of Rs. 5,000/- per sq. ft. in case of exclusive self occupied residential construction and Rs. 10,000/- per sq. ft. in commercial or residential-cum-commercial buildings. The amount so received should be utilised for sustainable development and for providing of facilities in the city of Shimla, as directed under this judgement.एनजीटी ने ऐसे 29 निर्देश जारी किये हैं। भविष्य के लिये इस संद्धर्भ में दो कमेटीयां गठित करने के भी निर्देश जारी किये है।

एनजीटी का यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के 12 दिसम्बर 1996 के फैसले और संविधान की धारा 48A और 51A (G) की पृष्ठिभूमि में आया जहां पर्यावरण की सुरक्षा के लिये सरकार और आम नागरिक दोनों के ही कुछ कर्तव्य हैं जिन्हे निभाने के लिये सभी बुरी तरह असफल रहे हैं क्योंकि यह कर्तव्य संविधान की धारा 19(एफ) को हटाकर 44वें संविधान संशोधन के बाद जोड़े गयी धारा 300 ए के परिदृश्य में और भी गंभीर हो जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के दिसम्बर 1996 के फैसले के बाद सरकार ने वर्ष 2000 में अगस्त और दिसम्बर मे दो अधिसूचनाएं जारी की थी। इनमें नये निर्माणों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। इनमें स्पष्ट कहा गया था कि All Private as well as Government constructions are totally banned within the core area of Shimla Planning Area. Only reconstruction on old lines shall be permitted in this area with the prior approval of the State Government. इसमें कोर एरिया को परिभाषित किया गया था। सरकार की अधिसूचनाओं पर सर्वोच्च न्यायालय के 1996 के फैसले की पृष्ठिभूमि में एनजीटी ने भी मई 2014 में अपनी मुहर लगाते हुए कहा कि In the meanwhile, we restrain all the Respondents and particularly the Municipal Corporation of Shimla and the Government State of Himachal Pradesh from raising or permitting any construction in the areas covered under the Notification dated 07th December, 2000.

इसी दौरान विभिन्न सरकारी विभागों और कुछ प्राईवेट लोगों ने इन अधिसूचनाओं में कुछ ढील देने का आग्रह करते हुए नये निर्माणों की अनुमतियां मांगी। लेकिन नगर निगम ने यह अनुमतियां इन विभागों को नही दी। कुछ प्राईवेट लोगों ने तो उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया। लेकिन उच्च न्यायालय ने यह मामले एनजीटी को सौंप दिये। एनजीटी ने अपने इसी फैसले में इन आवेदनो/याचिकाओं का भी निपटारा किया है। एनजीटी ने किसी को भी अनुमति नही दी है। इन लोगों को अपने मामले इस फैसले में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में बनाई जाने वाली निगरानी कमेटी के समक्ष रखने को कहा है। निगरानी कमेटी इन पर इस फैसले में दिये गये निर्देशों के अनुसार विचार करके अपनी सिफारिश करेगी और फिर एनजीटी इन पर फैसला लेगा। लेकिन जहां नगर निगम के विभिन्न सरकारी विभागों को अनुमति नही दी बल्कि एक आवेदन तो जस्टिस आरएफ नरीमन का आया है और उन्हे भी अनुमति नही मिली है। वहीं पर इसी दौरान 5143 मामले अवैध निर्माणों के घट गये जिनमें से 180 मामले तो ऐसे हैं जिन्होने कभी अनुमति मांगी ही नही। यह आंकड़ा एनजीटी के फैसले में दर्ज है। ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी बड़ी मात्रा में इतना अवैध निर्माण या उसकी जानकारी के बिना ही इसे अंजाम दिया गया है। वस्तुस्थिति जो भी रही हो यह अपने में ही एक बड़ा कांड हो जाता है। एनजीटी के फैसले के अनुसार यह 1801 अवैध निर्माण देर सवेर तोड़े ही जाने है। बल्कि इन्ही कारणों से एनजीटी के फैसले को पहले ट्रिब्यूनल में ही रिव्यू डालकर चुनौती दी गयी। लेकिन एनजीटी ने इस रिव्यू को अस्वीकार कर दिया है। इस अस्वीकार के बाद अब सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने की बात की जा रही है। यदि एनजीटी के 165 पन्नों के फैसलें को ध्यान से देखा जाये तो यह सारा मामला ही सर्वोच्च न्यायालय के दिसम्बर 1996 के फैसले का ही विस्तारित रूप है। क्योंकि 1996 के फैसले के बाद ही 2000 में सरकार ने स्वयं अधिसूचनाएं जारी करके निर्माणों पर प्रतिबन्ध लगाया और स्वयं ही अवैधताओं पर आंखे बन्द कर ली। एनजीटी में जब यह मामला आया तब फिर अदालत ने इस पर अधिकारियों की एक कमेटी गठित करे रिपोर्ट तलब की। इस कमेटी के पहले अध्यक्ष प्रधान सचिव आरडी धीमान थे जिन्हें कमेटी के सदस्यों के साथ ही मतभेद हो जाने के कारण हटा दिया गया था। फिर इसके अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य सचिव तरूण कपूर बनाये गये थे। इस कमेटी ने 24 मई 2017 को 20 पन्नो की रिपोर्ट सौपी है। यह रिपोर्ट भी बहुत सारे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययनों पर आधारित है।

इस सबसे यह स्पष्ट हो जाता है कि एनजीटी का फैसला सर्वोच्च न्यायालय सरकार की अपनी अधिसूचनाओं और फिरअधिकारियों की विस्तृत रिपोर्ट पर ही आधारित है। बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि एनजीटी ने तो सरकार को ही स्मरण कराया है कि शिमला को बचाये रखने के लिये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और अपनी ही अधिसूचनाओं पर अमल करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष नही बचा है। अवैधताओं पर आंखे मूंदने की दोषी कांग्रेस और भाजपा दोनों की ही सरकारें एक बराबर रही है। 5103 अवैध निर्माणों का जो आंकड़ा एनजीटी के सामने आया है उसमें यह भी साफ कहा गया है कि यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है एनजीटी ने टूटीकण्डी, संजौली, न्यू शिमला, जाखू, रिज, लक्कड़ बाजार और राम नगर आदि कई क्षेत्रों का तो विषेश रूप से उल्लेख किया है। लेकिन इन क्षेत्रों में आज भी ऐसे निर्माण जारी हैं जो फैसले के मानकों पर सही नही उतरते हैं। मालरोड़ और गंज क्षेत्र में भी ऐसे निर्माण सामने चल रहे हैं। जिन्हें फैसले के परिदृश्य में कतई अनुमति नही दी जा सकती। ऐसे निर्माणों को बीच में ही रोक देने के लिये फैसले के अनुरूप प्रशासन अधिकृत है भले ही उनके प्लान को अनुमति प्राप्त रही हो। प्रशासन फैसले पर अमल करने की बजाये राजनीतिक दबाव में अपील में जाने की नीति पर चल रहा है। इससे कुछ दिनों का समय तो अवश्य मिल सकता है लेकिन यह तय है कि सर्वोच्च न्यायालय इन अवैधताओं को अनुमति नही देगा। यह अवैध निर्माण अन्ततः गिराने ही पड़ेंगे।

राजीव बिन्दल को विजिलैन्स का झटका

शिमला/शैल। पिछले कुछ अरसे से प्रदेश मन्त्रीमण्डल में फेरबदल किये जाने की अटकलों का दौर चल रहा है। इसमें यह भी चर्चा चल रही थी कि राजीव बिन्दल को मन्त्री बनाया जा सकता है। लेकिन बिन्दल के खिलाफ लम्बे अरसे से विजिलैन्स में आपराधिक मामला चल रहा है। अब इस मामले को वापिस लेने के लिये सीआरपीसी की धारा 321 के तहत अदालत मे आवेदन करना पड़ता है और यह आवेदन केवल मामले से जुड़ा सरकारी वकील ही कर सकता है। इसके लिये मामले से जुड़े सरकारी वकील को सरकार की ओर से निर्देश गये थे कि वह यह आवेदन अदालत में करे। उच्चस्थ सूत्रों के मुताबिक सरकारी वकील ने यह आवेदन करने से इन्कार कर दिया है क्योंकि मामला निर्णायक मोड़ तक पंहुच चुका है। सीआरपीसी की धारा 321 के तहत सरकारी वकील को मामला वापिस लेने के लिये यह कहना पड़ता है कि उसकी राय में यह मामला सफल नही हो सकता। लेकिन इसमें जब मामला अन्तिम चरण में पंहुच चुका है और आज से पहले कभी सरकारी वकील की ओर से यह इंगित ही नही हुआ है तो अब इस स्टेज पर ऐसे आग्रह से उसी की फजीहत होती।

स्मरणीय है कि धूमल शासन के दौरान भी इस मामले को खत्म करने के प्रयास किये गये थे। उन प्रयासों के तहत विधानसभा अध्यक्ष ने इसमें मुकद्दमा चलाने की अनुमति नही दी थी। लेकिन अदालत ने यह अनुमति न दिये जाने को यह कह कर नकार दिया था कि विधानसभा अध्यक्ष इसके लिये सक्षम अधिकारी नही हैं। अब जब सरकारी वकील ने सीआरपीसी की धारा 321 के तहत आवेदन करने में असमर्थता जता दी है तो यह स्पष्ट हो गया कि यह मामला अदालत में चलेगा ही। मामले की जानकारी रखने वालों के मुताबिक इसमें परिणाम कुछ भी आ सकते हैं।

इस परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा यह खड़ा हो गया है कि मंत्री बनने के लिये तो तब तक वंदिश नही हैं जब तक किसी मामले में दो वर्ष से अधिक की सज़ा न हो जाए। क्योंकि दो वर्ष की सज़ा पर तत्काल गिरफ्तारी के बाद ही अपील और जमानत की स्थिति आती है। बिन्दल के मामले तो यह सब कुछ अभी अनिश्चितता में चल रहा है। उन्हें मामले के चलते हुए जब विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है तो उसी तर्क पर उन्हें मन्त्री बनाने में भी कोई दिक्कत नही हो सकती थी। फिर सूत्रों का यह भी दावा है कि सरकारी वकील ने दो माह पहले ही लिख दिया था कि मामला वापिस ले लिया जाये। उसके बाद सरकार ने उस वकील को ही बदल दिया। अब इस केस में जो नया सरकारी वकील लगाया गया है उसने नये सिरे से अपनी राय देते हुए यह लिख दिया है कि मामला वापिस नही लिया जा सकता। इन तथ्यों को सामने रखते हुये तो एकदम सारा परिदृश्य ही बदल जाता है और यह संदेश जाता है कि सरकार मामला वापिस ही नही लेना चाहती है। इससे यह भी संकेत उभरता है कि जब बिन्दल का ही मामला सरकार वापिस नही लेना चाहती है तो अन्य नेताओं के मामलों में भी ऐसी ही रणनीति अपनाई जायेगी। माना जा रहा है कि जयराम सरकार की इस रणनीति के दूरगामी राजनीतिक परिणाम होंगे।

कप्तान सिंह सोलंकी ने राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार संभाला

शिमला/शैल। हरियाणा के राज्यपाल प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी ने शपथ ग्रहण की और हिमाचल प्रदेश के

राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार संभाला। इस अवसर पर लेडी गवर्नर रानी सोलंकी भी उपस्थित थी।

हिमाचल उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल ने उन्हें राजभवन में आयोजित एक समारोह में पद की शपथ दिलाई। मिनिस्टर इन वेटिंग शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल को इस अवसर पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने नियुक्ति का अधिपत्र पढ़ा।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिन्दल, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कवंर, विधायकगण, उच्च न्यायालय के न्यायधीश न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर, विश्वविद्यालयों के उप कुलपति, पुलिस महानिदेशक डॉ. एस.आर मरडी, राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. डेजी ठाकुर, सचिव, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, अन्य गणमान्य व्यक्ति तथा राज्यपाल के परिवार के सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

समारोह के उपरान्त राज्यपाल ने कहा कि 'हिमाचल एक छोटा तथा महत्वपूर्ण प्रदेश है तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार मिलने से मेरे जीवन में एक नया अध्याय जुड़ा है'।

औद्योगिक इकाईयों में 80 प्रतिशत हिमाचलियों को रोज़गार देना होगा

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने लोगों को रोज़गार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से औद्योगिक इकाईयों में लाभ, छूट व अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के नियमों में संशोधन किए हैं अब ऐसी औद्योगिक इकाईयों में 80 प्रतिशत रोज़गार हिमाचल के स्थाई निवासियों को सुनिश्चित करना होगा।

राज्य सरकार की नई अधिसूचना के अनुसार एक अप्रैल, 2018 के बाद विस्तार की इच्छुक औद्योगिक इकाईयों को नियमित/ अनुबंध/उप - अनुबंध / दैनिक आधार या अन्य प्रकार के रोज़गार सहित अधिक विस्तार के फलस्वरूप सृजित अतिरिक्त श्रमशक्ति के लिए ठेकेदार तथा आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से रखे जाने वाले लोगों में 80 प्रतिशत रोज़गार स्थाई हिमाचलियों को देना होगा। यह शर्त उन सभी औद्योगिक इकाईयों पर भी लागू होंगी जो एक अप्रैल, 2018 के बाद प्रदेश में स्थापित हुई हैं। बहुत अधिक विस्तार करने वाली औद्योगिक इकाईयां ही इस नियम से बाध्य होंगी। इसलिए पूर्व में स्थापित उद्योग जो बहुत अधिक विस्तार नहीं कर रहे हैं, वह इन नियमों में किए गए संशोधन/अधिसूचित प्रावधानों से बाध्य नहीं होंगे। 80 प्रतिशत हिमाचलीयों को रोज़गार देने की शर्त इसलिए रखी गई है क्योंकि राज्य में अब तकनीकी रूप से प्रशिक्षितों की कोई कमी नहीं है। राज्य में लगभग 250 तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, 30 बहुतकनीकी संस्थान, लगभग 40 इंजीनियरिंग कॉलेज तथा विश्वविद्यालय हैं तथा अपने पाठ्यक्रमों की समाप्ति के बाद तकनीकी रूप से प्रशिक्षित युवा रोज़गार की तलाश कर रहे हैं। आज उद्योगों की मांग के अनुसार आईटीआई, पॉलिटैक्नीक तथा इंजीनियरिंग कॉलजों के पाठ्यक्रमों में नए ट्रेड शामिल किए जा रहे हैं।

एचपीएमसी और हिमफैड के सहयोग से खोले जाएंगे 34 फल एकत्रण केन्द्र

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने वर्ष 2018 के लिए आम के फलों के लिए मण्डी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत आम के प्रापण को स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के अन्तर्गत 250 मीट्रिक टन गुठलीदार, 200 मीट्रिक टन कलमी तथा 50 मीट्रिक टन आचारी आमों की किस्मों का प्रापण कमश: 7 रुपये तथा 6 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से किया जाएगा।

यह प्रापण एचपीएमसी तथा हिमफैड के माध्यम से क्रेटों में किया जाएगा और इन एजेंसियों को 1. 30 रुपये प्रति किलोग्राम हैंडलिंग चार्जिज की अनुमति होगी। पिछले वर्ष की भांति गुठलीदार फलों, कलमी और आचारी आम का औसत विकय मूल्य कमश: 2000 रुपये, 3000 और 2000 प्रति मीट्रिक टन आंका गया है।

इस योजना के अन्तर्गत एचपीएमसी और हिमफैड के सहयोग से 34 फल एकत्रण केन्द्र खोले जाएंगे तथा पिछले तीन से पांच वर्षों के प्रापण आंकड़ों को आधार माना जाएगा। यह केन्द्र प्रापण एजेंसियों द्वारा आवश्यकता के अनुसार खोले जाएंगे तथा इनका संचालन एचपीएमसी और हिमफैड के कर्मियों द्वारा किया जाएगा।

योजना के अन्तर्गत 2.5 प्रतिशत अतिरिक्त फलों का वजन के आधार पर प्रापण उन किसानों/ बागवानों द्वारा किया जाएगा, जिनके पास 10 बीघा और इससे कम भूमि आम उत्पादन के अन्तर्गत होगी। अन्य किसी भी फल का प्रापण ठेकेदार से नहीं किया जाएगा। यह योजना तत्काल प्रभाव से 15 अगस्त, 2018 तक प्रभावी रहेगी।

उद्योगों को आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना का क्रियान्वयन

शिमला/शैल। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा पूरे देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें पीने के पानी की पैकेजिंग, कार्बोनेटिड पेय पदार्थ एवं ऐरिएटिड पानी के अतिरिक्त सभी खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां शामिल हैं, जिससे किसानों को उनके उत्पाद के लिए बेहतर कीमत मिले व राज्य में अधिक से अधिक रोज़गार का सृजन किया जा सके यह जानकारी राज्य उद्योग विभाग ने दी। प्रदेश में स्थापित सभी औद्योगिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक बस्तियों को चिन्हित फूड पार्कों को सूची में शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 15 सितम्बर, 2018 तक आवेदक दस्तावेज ऑनलाईन जमा करवा सकते हैं।

खाद्य प्रसंस्करण/वर्तमान में स्थापित खाद्य प्रसंस्करणों के विस्तार एवं संरक्षण क्षमता वाले उद्योगों के लिए इस योजना के अंतर्गत 50 प्रतिशत की दर से प्लांट एवं मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य पर अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा पांच करोड़ रुपये है। योजना के अंतर्गत परियोजना की कुल लागत का 20 प्रतिशत ऋण बैंक से प्राप्त करना एवं बैंक से मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करना अनिवार्य है तथा अपनी 10 प्रतिशत पूंजी लगाना भी आवश्यक है।

इसके इच्छुक उद्यमी अधिक जानकारी उद्योग निदेशालय या महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र से सम्पर्क कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के ऑनलाईन पोर्टल www.mofpi.nic.in पर भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
INVITATION FOR BIDS (IFB)

1. The Executive Engineer Bilaspur Division No.2, HP-PWD, Bilaspur on behalf of Governor of H.P invites the item rate bids, in electronic tendering system, for construction under Budgeted/Deposit funds for each of the following works from the eligible and approved contractors registered with HPPWD.

Sr.No.	Nameof work	Estimated Cost	Earnest Money	Cost of tender	Time limit	Eligible class of contractor
1.	Annual Maintenance plan for the year 2018-19 for state Rural roads (NDER PMGS) Based Financial incentive 2017-18 (SH:- Providing and laying 25mm thick premix Semi dense bituminous concrete on Galwa Goalthai road Km. 9/0 to 10/0)	Rs.670721/-	Rs.14000/-	Rs.350/-	Three Month	Class C&D

2. Date of release of Invitation for Bids through e-procurement: **09.08.2018 (dd/mm/yyyy)**
3. Cost of Bid Form: Rs. 350/- per (non-refundable) only in form of demand draft in favour of Executive Engineer, Bilaspur Division No.2, HP-PWD, Bilaspur.
4. Availability of Bid Document and mode of submission: The bid document is available online and bid should be submitted online on website: **http://hptenders.gov.in** bidder would be required to register in the web-site which is free of cost. For submission of bids, the bidder is required to have Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities (CA). "Aspiring bidders who have not obtained the user ID and password for participating in e-tendering in HPPWD may obtain the same from the website: **http://hptenders.gov.** in Digital signature is mandatory to participate in the e-tendering. Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAs can use the same in this tender.
Non-registered bidders may submit bids; however, the successful bidders must get registered in appropriate class with appropriate authorities before signing the contract
5. Submission of Original Documents: The bidders are required to submit (a) original demand draft towards the cost of bid document and (b) original bid security in approved form and (c) form no 7/8 duly signed by contractor with bid document as per provisions of general rules No. 27 with Executive Engineer, Bilaspur Division No.2, HP-PWD, Bilaspur on or before **18.08.2018 at 11:30 AM** for opening of technical Bid, either by registered post or by hand, failing which the bids will be declared non-responsive.
6. Last Date/ Time for receipt of bids through e-tendering: 18.08.2018 (dd/mm/yyyy) upto 10.30 A.M. (time)
7. The site for the work is available.
8. Only online submission of bids is permitted, therefore; bids must be submitted online on website **http://hptenders.gov.in** The technical bids shall be opened on **18.08.2018 at 11:30 A.M.** hrs in the office of Executive Engineer, Bilaspur Division No.2, HPPWD. Bilaspur by the authorised officer. In the interest of tenderers are advised to be present along with original documents at the time of opening of tenders. If the office happens to be closed on the date of opening of the bids as specified, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue.
9. The bids for the work shall remain valid for acceptance for a period not less than ninety days after the deadline date for bid submission.
10. Other details can be seen in the bidding documents. The officer inviting tender shall not be held liable for any delays due to system failure beyond its control. Even though the system will attempt to notify the bidders of any bid updates, the Employer shall not be liable for any information not received by the bidder. It is the bidders' responsibility to verify the website for the latest information related to the tender.

Adv. No.-1454/18-19 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना
सीता

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, ELECTRICAL DIVISION NO.I, HPPWD, SHIMLA-9
WEB.WWW.HPPWD.GOV.IN. E-MAIL: EE-ELED1-HP@NIC.IN
PHONE/FAX NO.0177- 2621398.
"NOTICE INVITING TENDER"

Sealed Item rate tenders on form No. 7 & 8 are invited by the Executive Engineer, Electrical Division No.1, HPPWD Shimla-9 for the following works on behalf of Governor of Himachal Pradesh from approved and eligible firms, so as to reach in this office on or before **13-8-2018 up to 10.30 AM** and will be opened on the same day at 11.00 AM in the presence of the intending contractors or their authorized representatives. The eligible firms shall means the contractor registered with HPPWD in appropriate Class and discipline. The tender form can be had from this office against cash payment (Non-refundable) up to **1.00 PM on dated 09-08-2018.**
The earnest money in the shape of National Saving Certificate/Time Deposit Account/ Saving Account in any of the Post Office in HP duly pledged in favour of XEN must accompany with each tender at the time of issue of tender form. Conditional tenders and the applications for tender received without earnest money will summarily be rejected. The offer of the tender shall be kept open for **90 days**. The undersigned reserves the right to reject the tender without assigning any reason. It is further added that the rates be quoted both in words and figures for proper checking to avoid any complications. No tender form will be issued to those contractors who are not registered under HP GST Act 1968. The contractors shall show their registration/renewal of enlistment to the undersigned before issue of tender forms. If the date of opening of will be holiday, the tender will be opened on the next working day at the same time.

Sr.No.	Nameof work	Estimated Cost	EMD	Time	Cost of tender
1.	R/M of Central heating plant on Armsdale Phase I Building under ESD-II for the year 2017-18.	Rs.1,56,538/-	3150/-	One Year	350/-
2.	R/M of Central heating plant on Armsdale Phase II& Yojna Bhawan Building under ESD-II for the year 2017-18.	Rs.1,81,629/-	3600/-	One Year	350/-
3.	C/O Parking Block CUM NH & QC office Block D at Nirman Bhawan Shimla-2 (SH:- Providing high Mast LED lighting System for yard lighting therein).	Rs.4,43,478/-	8900/-	Three Months	350/-
4.	Providing rewiring and Replacement of old/out-lived appliances electrical fixture and modular Switch, socket's in Hon'able Minister house forest lodge Shimla-2.	Rs.2,31,084	4600/-	Three Months	350/-
5.	C/O Visitor's Waiting Hall in Hon'ble CM's residence at Oak Over Shimla-2 (SH:- Providing infrared heater& floor heating system in Mezzanine Floor).	Rs.4,46,763/-	8900/-	Three Months	350/-

Note:-Copy of latest Enlistment/renewal and sale tax Clearance Certificate from the excise and taxation department and copy of PAN be submitted along with application.

Adv. No.-1516/18-19 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

छोटे उत्पादकों से भी बिजली खरीदेगा राज्य विद्युत बोर्ड : मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि बिजली उत्पादकों की सहायता और बिजली क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए 25 मेगावॉट क्षमता तक की छोटी बिजली परियोजनाओं द्वारा उत्पादित बिजली को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा खरीदेगा। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने भारत सरकार और बहुद्देशीय परियोजनाओं, ऊर्जा विभाग, एनइएस और हिमाचल सरकार के सहयोग से हाइड्रो पावर डेवेल्पर्स और हिमालय पावर प्रोड्यूसर एसोसिएशन द्वारा आयोजित 'हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं का तीव्र विकास' विषय पर संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए कही।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में 27 हजार मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पादन क्षमता की पहचान की गई है और इसका पूरी तरह से दोहन होने पर राज्य की अर्थव्यवस्था को बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में अभी तक 10547 मेगावाट विद्युत क्षमता का ही दोहन किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी से वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 182 मेगावाट क्षमता का उपयोग करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार बिजली उत्पादकों को अनेक प्रोत्साहन प्रदान कर रही है, जिससे वे आसानी से राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादक अन्य इच्छुक खरीदारों को बिजली बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली उत्पादकों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार करने के लिए ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिजली परियोजनाओं की स्थापना को मंजूरी प्रदान करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिजली उत्पादकों की सभी व्यवहारिक मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने विद्युत नीति में आवश्यक संशोधन किए हैं ताकि इसे निवेशकों के लिए अनुकूल बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में बिजली परियोजनाओं के निर्माण के लिए त्वरित वन स्वीकृति प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे निवेशकों को परियोजनाओं के निर्माण से अनावश्यक देरी से बचाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल के दौरान विद्युत और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में निवेशकों के कल्याण के लिए कुछ प्रमुख पहलें की गई हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि बिजली क्षेत्र में अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने भविष्य में लगने वाली परियोजनाओं के लिए पहले 12 वर्षों के लिए 12 प्रतिशत की दर से रॉयल्टी स्थगित कर दी है जो बिजली उत्पादकों को अत्याधिक लाभ पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि इससे बिजली उत्पादकों को परियोजनाओं के प्रारम्भिक वर्षों में ऋण और ब्याज का भुगतान करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए आगामी परियोजनाओं में एक लाख रुपये प्रति मेगावाट की दर से अग्रिम भुगतान शुल्क लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में 3.34 लाख मैगावाट बिजली पैदा की जा रही है जो चीन के मुकाबले बहुत कम है, जहां 16.74 लाख मेगावाट बिजली तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि देश तथा राज्य में मौजूद क्षमता का पूरी तरह दोहन करने के लिए विद्युत क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करना शेष है।

मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए साई इंजीनियरिंग फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुनीश शर्मा, पी. सी. पंत, तरूण कपूर, एस.एन. कपूर, अजय कुमार शर्मा, केशव रेड्डी और हरीश गुलेरिया को ऊर्जा उत्पादक संघ की ओर से सम्मानित किया।

बोनाफाईड हिमाचली हाइड्रो डेवेल्पर्ज तथा हिमालय पावर प्रोड्यूसर एसोसियेशन ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री को 11 लाख रुपये का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए भेंट किया।

बहुद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्रों में राज्य को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र के पुनर्जीवन के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं ने भी राज्य सरकार के इस दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा नीति को निवेशक मित्र बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा ट्रांसमिशन पर बल दिया जाएगा ताकि स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों को बिजली बेचने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा उत्पादकों की सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा तरूण कपूर ने कहा कि यदि राज्य अगले पांच वर्षों में निजी क्षेत्र में 5000 मेगावाट का दोहन करने में सफल रहता है, तो राज्य 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यक है कि जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण समय में काफी कमी लाई जाए। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन पर प्रस्तुति भी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए तीव्र वन स्वीकृतियां के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी।

बोनाफाइड हिमाचली जल विद्युत उत्पादक एसोसियेशन के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि राज्य के विद्युत उत्पादक हिमाचल प्रदेश को देश का ऊर्जा राज्य बनाने के लिए कृतसंकल्प है, जिसके लिए सरकार का सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए वन स्वीकृति बहुत बड़ी अड़चन है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया काफी जटिल और उबाऊ है और इसे सरल करने की आवश्यकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से उनकी विभिन्न मांगों के शीघ्र समाधान के लिए आग्रह किया।

टांडा अस्पताल में युवती की मौत की जांच के लिये समिति गठित

शिमला/शैल। कांगड़ा के समीपवर्ती गांव चंद्रोट की युवती को गत दिनों सर्पदंश के बाद डा. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कालेज एवं अस्पताल टांडा में उपचार के लिये भर्ती करवाया गया था, जिसकी बाद में अस्पताल में मौत हो गई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा. विपिन सिंह परमार ने मौत के कारणों की जांच के लिये आई.जी.एम.सी. शिमला के वरिष्ठ चिकित्सकों की एक समिति का गठन किया है। समिति को पांच दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। आई.जी.एम.सी. मेडीसिन विभाग के प्रोफेसर एवं प्रमुख डा. दलीप गुप्ता की अध्यक्षता वाली इस समिति में फौरेन्सिक मेडीसिन के प्रमुख डा. पियूश कपिला तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डा. जनक राज बतौर सदस्य शामिल किए गए हैं।

परमार ने कहा कि शीघ्र और निष्पक्ष जांच के लिये आई.जी.एम.सी. शिमला से जांच समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि मानव जिंदगी बहुमूल्य है और किसी को भी जिंदगी से खिलवाड़ करने की इज़ाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि युवती की मौत से उन्हें निजी तौर पर गहरा दुःख पहुंचा है। उन्होंने कहा यदि अस्पताल की लापरवाही के कारण युवती की जान गई है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है और रिपोर्ट में यदि कोई दोषी पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध कड़ी कारवाई की जाएगी।

सरकार गरीब और मध्यम वर्ग को किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने को निरंतर प्रयासरतः सरवीन चौधरी

धर्मशाला/शैल। शहरी विकास मंत्री सरवीन चौधरी ने कहा कि हिमाचल सरकार गरीब और मध्यम वर्ग को किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। शहरों के साथ साथ दूरदराज व ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अत्याधुनिक लेकिन किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता प्रदान की गई है। सरकार ने इसके लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 2302 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

सरवीन चौधरी ने शाहपुर के 39 मील में स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित चार दिवसीय बहुउद्देशीय विशेषज्ञ शल्य चिकित्सा शिविर का शुभारंभ करते हुए यह बात कही। इस चिकित्सा शिविर का आयोजन प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और नई दिल्ली के आकाश अस्पताल के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है।

सरवीन चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त चिकित्सक एवं सहायक स्टाफ तैनात करने की दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है। वर्तमान सरकार ने अपने अल्प अवधि के कार्यकाल में 300 चिकित्सकों की भर्ती की है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद चिकित्सकों, नर्सों तथा पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती की जा रही है।

सरवीन चौधरी ने कहा कि शाहपुर के सिविल अस्पताल के भवन के निर्माण पर 6 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। पिछली सरकार ने अस्पताल भवन पर कोई भी धनराशि व्यय नहीं की। वर्तमान सरकार ने भवन निर्माण के लिए 2 करोड़ की पहली किश्त जारी कर दी है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को शीघ्र औपचारिकताएं पूरा कर काम शुरू करने के निर्देश दिए।

शहरी विकास मंत्री ने बताया कि शाहपुर के 39मील स्थित सामुदायिक भवन की ऊपरी मंजिल पर 2 लाख व्यय करके उसकी मुरम्मत की गई है और सामुदायिक भवन के रख रखाव के लिये उपमंडलाधिकारी शाहपुर को कहा गया है।

उन्होंने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के नागनपट्ट में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उपहार के लिए अपनी एवं शाहपुर की जनता की ओर से मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर का आभार जताया।

इसके उपरान्त शहरी विकास मंत्री ने शाहपुर अस्पताल का निरीक्षण किया। वे हर वार्ड में गईं और उपचाराधीन मरीजों का कुशलक्षेम पूछा। मरीजों के चेहरों पर रौनक देख मंत्री ने संतोष जताया। शहरी विकास मंत्री ने अस्पताल में बेहतर सफाई व्यवस्था के लिए खंड चिकित्सा अधिकारी एवं स्टाफ की प्रशंसा की और भविष्य में भी इसी तरह व्यवस्था बनाए रखने को कहा।

इस शल्य चिकित्सा शिविर में अब तक लगभग 350 लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया है। इसमें रसौली, हर्निया, बवासीर, गिल्टी इत्यादि के ऑपरेशन किये जायेंगे।

इसके उपरांत शहरी विकास मंत्री ने लोगों की समस्याओं को भी सुना। उन्होंने अधिकतर समस्याओं का मौके पर समाधान कर दिया और शेष समस्याओं के शीघ्र निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

मुख्यमन्त्री के नेतृत्व में प्रदेश के विकास को लगे पंख : गोविंद सिंह

शिमला/शैल। वन, परिवहन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि मात्र छः माह की अल्पावधि के कार्यकाल में ही प्रदेश को विकास के लिए हजारों करोड़ रुपये केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त हुए हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस केन्द्रीय सहायता राशि से प्रदेश में विकासात्मक कार्यों को गति मिलेगी।

गोविंद सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार के बाद यह दूसरा अवसर है जब केन्द्र की सरकार प्रदेश के विकास के लिए उदारता से आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।

गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि केन्द्र सरकार ने 5509.87 करोड़ रुपये की विभिन्न पांच परियोजनाओं के तहत प्रदेश को वित्तीय सहायता प्रदान कर प्रदेश के विकास को नई उर्जा प्रदान की है। इस राशि में से 1688 करोड़ रुपये बागवानी विकास, 1892 करोड़ रुपये पर्यटन सुविधाओं के विस्तार, 798 करोड़ रुपये पेयजल आपूर्ति के लिए प्रदान किए गए हैं। इस के अतिरिक्त मुख्यमंत्री के अथक प्रयासों से ही प्रदेश के किसानों-बागवानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से दो परियोजनाओं के तहत 1131.87 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई है जिसमें से 708.87 करोड़ रुपये जल संरक्षण ढांचों के विस्तार तथा 423 करोड़ रुपये समेकित खुम्ब विकास के लिए प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि यह केन्द्रीय सहायता विभिन्न क्षेत्रों के विकास तथा किसानों-बागवानों की आय को दोगुना करने में एक मील का पत्थर साबित होगी।

वन मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश किसानों-बागवानों का प्रदेश है। सेब पर आयत शुल्क बढ़ाकर मोदी सरकार पहले ही बागवानों को राहत का तोहफा प्रदान कर चुकी है तथा अब 423 करोड़ रुपये की समेकित खुम्ब विकास परियोजना स्वीकृत की है जो किसानों की कौशल क्षमता व आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी।

गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि भविष्य में प्रदेश की इको-पर्यटन, खेल, पर्यटन व परिवहन सम्बन्धी अनेकों योजनाएं स्वीकृत होने वाली हैं, जिनसे प्रदेश सतत् एवं समग्र विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।

कार्य करते समय शत्रु का साथ नहीं करना चाहिए। .....चाणक्य

सम्पादकीय

भाजपा के लिये घातक होगा हिंसक भीड़ तन्त्र

क्या देश अराजकता की ओर बढ़ रहा है? यह सवाल अभी कुछ दिन पहले झारखण्ड के पाकुड में लिट्टीपाड़ा में सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश पर भीड़ द्वारा किये गये हमले के बाद फिर से चर्चा में आ गया है। क्योंकि हमला करने वाली भीड़ साथ में जय श्री राम के नारे भी लगा रही थी। इन नारों से सीधा यह सदेश गया है कि हमला करने वाले लोग संघ-भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। केन्द्र में भी भाजपा की सरकार है और झारखण्ड में भी। इसीलिये यह लोग अपने को कानून से ऊपर मानकर क्या कानून हाथ मे लेकर जांच, फैसला और सज़ा सबकुछ एक साथ मौके पर ही कर दे रहे हैं। पुलिस और प्रशासन ऐसे मामलो मे लाचारगी की भूमिका से बाहर नही आ पाया है। पिछले डेढ़ वर्ष में देश के विभिन्न भागों में भीड़ ने तैतीस लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। यह घटनाएं कम होने की बजाये लगातार बढ़ती जा रही है। स्वामी अग्निवेश पर हुए हमले की निन्दा संघ- भाजपा की ओर से कोई प्रभावी ढंग से सामने नही आयी है और यह खामोशी पूरे मामले को कुछ और ही अर्थ दे जाती है

भीड़ के हिंसक होने को लेकर महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी और कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर की थी। इस याचिका पर ठीक उसी दिन फैसला आया है जिस दिन स्वामी अग्निवेश पर भीड़ ने जानलेवा हमला किया। स्वामी अग्निवेश पर यह आरोप था कि उन्होंने हिन्दुओं के खिलाफ बोला है। स्वामी अग्निवेश एक समारोह में भाग लेने गये थे। समारोह में भाग लेकर जब वह सभागार से बाहर निकले अपनी गाड़ी में बैठकर जाने के लिये तभी भीड़ ने उनपर हमला कर दिया। सभागार में स्वामी अग्निवेश ने क्या बोला और वह हिन्दुओं के खिलाफ था तथा इसके लिये उन्हे यहीं मौके पर ही बिना उनका पक्ष जाने सजा देनी है यह फैसला कुछ ही क्षणों मे उस भीड़ ने ले लिया जो शायद स्वयं सभागार में उपस्थित भी नही थी। जब भीड़ इस तरह से कानून अपने हाथ में लेकर सड़कों पर फैसले करने लगेगी तो फिर देश में कानून, पुलिस, प्रशासन और अदालत के लिये कहां जगह रह जाती है। यह सबसे बड़ा और गम्भीर सवाल उभरकर सामने आता है। पिछले डेढ़ वर्ष में बल्कि यह कहना ज्यादा संगत होगा कि नोटबंदी के बाद देश में इस तरह की घटनाओं में अचानक बाढ़ आ गयी है। गो रक्षा, गो काशी, बच्चा चोरी और अमुक समुदाय के लोगों ने अमुक समुदाय के व्यक्ति को मार दिया जैसी फर्जी घटनाओं की अफवाह फैलते ही इनके नाम पर अचानक भीड़ इकट्ठा हो जाती है और हिंसक होकर किसी की भी जान ले लेती है लेकिन आज तक भीड़ के हिंसक होने के लिये फैली किसी भी अफवाह की पुष्टि नही हो पायी है कि वास्तव में रोष का कारण बनी सूचना अफवाह नही सच्ची घटना थी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी झूठी खबरें एक मकसद के साथ फैलायी जाती हैं ताकि दो समुदायों/वर्गो के बीच ऐसी नफरत फैल जाये कि वह उस खबर के स्त्रोत और सत्यता को जांच के बिना ही हिंसक होकर किसी की जान ले ले।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस भीड़ हिंसा का कड़ा संज्ञान लेकर इसको रोकने के उपाय करने के लिये सरकारों को कड़े निर्देश दिये हैं। इन निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिये चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भी तलब की है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी अफवाहों के लिये सोशल मीडिया को सबसे बड़ा जिम्मेदार माना है। घृणा, नफरत फैलाने वाले पोस्टों पर कड़ी निगरानी रखते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कारवाई करने के भी निर्देश दिये हैं। उम्मीद की जानी चाहिये कि सरकार और उसका तन्त्र तुरन्त इस दिशा मे प्रभावी कदम उठायेगा। यहां पर एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि जो लोग सोशल मीडिया में यह सब फैला रहे हैं उनका संरक्षक कौन है? जब इस पर विचार करते हैं तो तुरन्त सत्तारूढ़ और विपक्ष की ओर से ध्यान जाता है क्योंकि यह स्वत: सिद्ध सत्य है कि जब हमारी असफलताएं इतनी हो जाती है कि उनके सार्वजनिक हो जाने से हमे सत्ता से बेदखल होने का डर लग जाता है जब आम जनता का ध्यान बंटाने और उसे विभाजित रखने के लिये इस तरह के हथकण्डे अपनाये जाते हैं। आज केन्द्र में भाजपा की सरकार है और अगला लोकसभा चुनाव कभी भी घोषित हो सकता है कि स्थिति बनी हुई है। ऐसे मे जनता के अन्दर अगर किसी की पहली जवाबदेही बनेगी तो वह निश्चित रूप से भाजपा की ही बनेगी। जब 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तब जनता से जो वायदे किये गये थे उनमें साथ ही यह भी कहा गया था कि जहां कांग्रेस को 60 वर्ष दिये है वहां हमें 60 महीने दें। हम इसी में सारे वायदे पूरे करेंगे। लेकिन सत्ता में आकर 60 महीने भूलकर 60 वर्ष की योजना परोसी जाने लगी है। निश्चित तौर पर सरकार अपना कोई भी बड़ा वायदा पूरा नही कर पायी है। आज रूपये की कीमत डॉलर के मुकाबले मे बहुत गिर गयी है। जिसके कारण हज़ारों करोड़ का ऋण बिना लिये ही बढ़ गया है। विकासदर सबसे निचले स्तर पर आ गयी है और मंहगाई पिछले दस वर्षो का रिकार्ड तोड़ गयी है। नोटबंदी से जो लाभ गिनाये गये थे वह सब हानि में सामने आ रहे हैं। इस परिदृश्य में आज यदि किसी को कुछ खोने का डर है तो वह सबसे अधिक सत्तारूढ़ भाजपा को ही है। क्योंकि जब हिंसक भीड़ किसी को मारते हुए ''जयश्रीराम'' का नारा लगाती है तो उसी नारे से सबकुछ स्पष्ट हो जाता है। हिंसक भीड़ के नारे और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से इस वस्तुस्थिति को नियंत्रित करने की सबसे बड़ी और पहली जिम्मेदारी भाजपा पर ही आ जाती है क्योंकि जिन राज्यों मे यह सब घटा है वहां पर या तो भाजपा की सरकारें है या फिर इनमें शामिल लोग अधिकांश में भाजपा के रहे हैं। इसलिये यह हिंसक भीड़ तंत्र भाजपा के लिये ही घातक सिद्ध होगा यह तय है।

आधुनिक विचारों में हमारे कुछ मौलिक विचार कहीं खो गए

अपनी संस्कृति में नारी और पुरूष की उत्पत्ति के मूल 'अर्धनारीश्वर' को भूल गए, भूल गए कि शिव के अर्धनारीश्वर के रूप में शिव पुरुष का प्रतीक हैं और शक्ति नारी का, भूल गए कि प्रकृति अपने संचालन और नव सृजन के लिए शिव और शक्ति दोनों पर ही निर्भर है।

''डॉ नीलम महेंद्र''

नारी, स्त्री, महिला वनिता, चाहे जिस नाम से पुकारो नारी तो एक ही है। ईश्वर की वो रचना जिसे उसने सृजन की शक्ति दी है, ईश्वर की वो कल्पना जिसमें प्रेम त्याग सहनशीलता सेवा और करुणा जैसे भावों से भरा हृदय है।

जो शरीर से भले ही कोमल हो लेकिन इरादों से फौलाद है,

जो अपने जीवन में अनेक किरदारों को सफलतापूर्वक जीती है, वो माँ के रूप में पूजनीय है, बहन के रूप में सबसे खूबसूरत दोस्त है, बेटी के रूप में घर की रौनक है, बहु के रूप में घर की लक्ष्मी है और पत्नी के रूप में जीवन की हमसफर।

पहले नारी का स्थान घर की चारदीवारी तक सीमित था लेकिन आज वो हर सीमा को चुनौती दे रही है। चाहे राजनीति का क्षेत्र हो चाहे सामाजिक, चाहे हमारी सेनाएँ हों चाहे कारपोरेट जगत, आज की नारी हर क्षेत्र में सफलता पूर्वक दस्तक देते हुए देश की तरक्की में अपना योगदान दे रही है।

समय के साथ नारी ने परिवार और समाज में अपनी भूमिका के बदलाव को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है अपनी इच्छा शक्ति के बल पर सफल भी हुई लेकिन आज वो एक अनोखी दुविधा से गुजर रही है। आज उसे अपने प्रति पुरुष अथवा समाज का ही नहीं बल्कि उसका खुद का भी नजरिया बदलने का इंतजार है।

क्योंकि कल तक जो नारी और पुरुष एक दूसरे के पूरक थे, जो एक होकर एक दूसरे की कमियों को पूरा करते थे, जो अपनी अपनी कमजोरियों के साथ एक दूसरे की ताकत बने हुए थे, आज एक दूसरे से बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन यह समझ नहीं पा रहे कि इस लड़ाई में वे एक दूसरे को नहीं बल्कि खुद को ही कमजोर और अकेला करते जा रहे हैं।

आधुनिक समाज में नारी स्वतंत्रता, महिला सशक्तिकरण, महिला उदारीकरण जैसे भारी भरकम शब्दों के जाल में न केवल ये दोनों ही बल्कि एक समाज के रूप में हम भी उलझ कर रह गए हैं। इन शब्दों की भीड़ में हमारे कुछ शब्द, इन कल्पनाओं में हमारी कुछ कल्पनाएँ, इन आधुनिक विचारों में हमारे कुछ मौलिक विचार कहीं खो गए।

इस नई शब्दावली और उसके अर्थों को समझने की कोशिश मे हम अपने कुछ खूबसूरत शब्द और उनकी गहराई को भूल गए।

अपनी संस्कृति में नारी और पुरूष की उत्पत्ति के मूल 'अर्धनारीश्वर' को भूल गए, भूल गए कि शिव के अर्धनारीश्वर के रूप में शिव पुरुष का प्रतीक हैं और शक्ति नारी का। भूल गए कि प्रकृति अपने संचालन और नव सृजन के लिए शिव और शक्ति दोनों पर ही निर्भर है। भूल गए कि शिव और शक्ति अविभाज्य हैं। भूल गए कि शिव जब शक्ति युक्त होता है, तो वह समर्थ होता है। भूल गए कि शक्ति के अभाव में शिव शव समान है। भूल गए कि शिव के बिना शक्ति और शक्ति के बिना शिव का कोई आस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि शिव अग्नि हैं तो शक्ति उसकी लौ हैं। शिव तप हैं तो शक्ति निश्चय। शिव संकल्प करते हैं तो शक्ति उसे सिद्ध करती हैं। शिव कारण हैं तो शक्ति कारक हैं। शिव मस्तिष्क हैं तो शक्ति हृदय हैं। शिव शरीर हैं तो शक्ति प्राण हैं। शिव ब्रह्म हैं तो शक्ति सरस्वती हैं। शिव विष्णु हैं तो शक्ति लक्ष्मी हैं। शिव महादेव हैं तो शक्ति पार्वती हैं। शिव सागर हैं तो शक्ति उसकी लहरें।

जब प्रकृति का आस्तित्व ही अर्धनारीश्वर में है, पुरुष और नारी दोनों ही में है तो दोनों में अपने अपने आस्तित्व की लड़ाई व्यर्थ है।

इसलिए नारी गरिमा के लिए लड़ने वाली नारी यह समझ ले कि उसकी गरिमा पुरुष के सामने खड़े होने मे नहीं उसके बराबर खड़े होने में है। उसकी जीत पुरुष से लड़ने में नहीं उसका साथ देने में है। इसी प्रकार नारी को कमजोर मानने वाला पुरुष यह समझे कि उसका पौरुष महिला को अपने पीछे रखने में नहीं अपने बराबर रखने में है। उसका मान नारी को अपमान नहीं सम्मान देने में है। उसकी महानता नारी को अबला मानने में नहीं उसे सम्बल देने में है।

इसी प्रकार नारी को एक संघर्षपूर्ण जीवन देने वाले समाज के रूप में हम सभी समझें कि नारी न सिर्फ हमारे परिवार की या समाज की बल्कि वो सृष्टि की जीवन धारा को जीवित रखने वाली नींव है।

कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने का लक्ष्य तय

सरकार ने सही अर्थों में उत्पादन पर फोकस करने के साथ–साथ आय पर अपना ध्यान केन्द्रित करते हुए कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने का लक्ष्य तय किया है। विभाग द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, नीम लेपित यूरिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ब्याज सब्सिडी योजना इत्यादि शामिल हैं।

कृषि क्षेत्र के लिए अत्यंत आवश्यक बजटीय आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2009 से लेकर वर्ष 2014 तक की अवधि के लिए कृषि क्षेत्र हेतु बजट 1,21,082 करोड़ रुपये का था। वहीं, दूसरी ओर वर्ष 2014 – 2019 की अवधि के लिए बजटीय आवंटन 74.5 प्रतिशत बढ़ाकर 2,11,694 करोड़ रुपये कर दिया गया है। बजटीय संसाधनों के पूरक के तौर पर गैर–बजटीय संसाधन जुटाए गए हैं। किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने वर्ष 2018 – 19 के सीजन के लिए सभी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) में वृद्धि को अपनी मंजूरी दे दी है।

बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) को क्रियान्वित किया जाता है जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के दायरे में फल, सब्जियां, मशरूम, मसाले, फूल, सुगन्धित पौधे, नारियल, काजू, इत्यादि शामिल हैं।

सरकार का वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य

सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने कृषि, सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग के राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक अंतर–मंत्रिस्तरीय समिति गठित की है। इस समिति को किसानों की आय दोगुनी करने से जुड़े मुद्दों पर विचार–विमर्श करने और वर्ष 2022 तक सही अर्थों में किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक उपयुक्त रणनीति की सिफारिश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

Prime Minister's Seven Point Strategy for Doubling Farmers' Income by 2022

1. Focus on irrigation with per drop-more crop;
2. Quality seed and soil health;
3. Investments in warehousing and cold chains;
4. Value addition through food processing;
5. Creation of a national farm market;
6. New revolutionary crop insurance scheme to mitigate risks at affordable cost; and
7. Promotion of ancillary activities like poultry, beekeeping, and fisheries.

वर्तमान में 'वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए रणनीति' के 13 मसौदा खंडों को इस विभाग की वेबसाइट http:///agricoop.nic.indoubling-farmers पर अपलोड किया गया है, ताकि इस बारे में आम जनता की राय जानी जा सके। इन मसौदा खंडों को इसी समिति द्वारा तैयार किया गया है।

समानांतर रूप से सरकार आय को केन्द्र में रखते हुए कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने पर विशेष ध्यान दे रही है। किसानों के लिए शुद्ध धनात्मक रिटर्न सुनिश्चित करने हेतु राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के जरिए इन योजनाओं को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित एवं क्रियान्वित किया जा रहा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) योजना, नीम लेपित यूरिया (एनसीयू), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना (ई–नाम), बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इत्यादि।

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर खरीफ और रबी दोनों ही फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को अधिसूचित किया जाता है। यह आयोग खेती–बाड़ी का लागत पर विभिन्न आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण करता है और फिर एमएसपी से जुड़ी अपनी सिफारिशें पेश करता है।

किसानों की आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 2018 – 19 के सीजन के लिए सभी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि कर दी है। सरकार का यह निर्णय ऐतिहासिक है, क्योंकि इसके जरिए वर्ष 2018 – 19 के केन्द्रीय बजट में किए गए वादे को पूरा किया गया है, जिसमें एमएसपी को उत्पादन लागत का कम से कम 150 प्रतिशत तय करने की बात कही गई थी।

इस आशय की जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री परषोत्तम रूपाला ने राज्यसभा में दी।

हिमाचल सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुना करने के लिए 4751 करोड़ की महत्वकांक्षी परियोजना

शिमला। हिमाचल प्रदेश प्रमुख रूप से पहाड़ी प्रदेश होने व खड़ी ढ़लानें होने की वजह से यहां वर्षा का जल बिना इस्तेमाल हुए व्यर्थ चला जाता है। इन वजहों से सिंचाई तथा सम्बन्धित गतिविधियों के लिए बड़ी मात्रा में जल संरक्षण की आवश्यकता महसूस की गई हैं। प्रदेश सरकार द्वारा 4751.24 रुपये की अनुमानित लागत से जल संरक्षण के लिए एक दूरदर्शी परियोजना तैयार की गई और इसे 11.5.2018 को केन्द्र को स्वीकृति हेतु भेजा गया था। योजना का निर्माण मुख्य तौर पर किसानों की आय को दोगुना करने की सोच को लेकर किया गया है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के अथक प्रयासों से हाल ही मे भारत सरकार के आर्थिक मामले विभाग (वित्त मंत्रालय) की 85वीं छंटनी कमेटी की बैठक में यह परियोजना स्वीकृत कर दी गई है और 708. 87 करोड़ रुपये की किश्त जारी कर दी गई है।

परियोजना की विस्तार से जानकारी देते हुए सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि यह परियोजना पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी। हालांकि प्रथम चरण में यह परियोजना जल की कमी वाले चुनिंदा क्षेत्रों, जिनमें मण्डी जिले के धर्मपुर, लड़भड़ोल और थुनाग, हमीरपुर जिले के बमसन और सुजानपुर तथा बिलासपुर जिले के घुमारवीं में 708. 87 करोड़ रुपये के विभिन्न जल संरक्षण कार्य किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने परियोजना के माध्यम से मुख्य तौर से कृषि क्षेत्र में विकास के स्रोतों पर बल दिया है। राज्य में वर्ष 2017 तक 2.691 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं प्रदान की गई हैं जबकि 65885 हेक्टेयर क्षेत्र पर अभी भी सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए परियोजना का एक प्रमुख उद्देश्य जल का अनुकूलतम उपयोग करना है।

मंत्री ने जानकारी दी कि परियोजना के अन्तर्गत ढांचा/मेडबंदी, बेलनाकार ढांचा, खोद कर कुएं बनाना, गाद अवधारण संरचना, चैक डैम, उप–सतह बांध, पुनर्भरण शाफ्ट तथा रिसाव टैंक बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जल के उत्तम इस्तेमाल, समेकित कृषि तथा कृषि विविधिकरण के लिए सिंचाई सुविधाओं के निर्माण पर 377.25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रमुख फसलों जैसे गेहूं, मकी तथा धान का उत्पादन बढ़ाकर इसे विश्व स्तर की फसल उत्पादकता के बराबर ले जाना हैं

पिछले कुछ दशकों के दौरान जलवायु परिवर्तन के प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर जल स्रोतों पर आसानी से देखे जा सकते हैं। प्रदेश में ग्रीन क्लाइमेट फंड के तहत बाह्य एजेंसी से विस्तृत संवेदनशीलता विश्लेषण करवाया गया है तथा प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य वर्षा जल संरक्षण के मुद्दों तथा भू–जल की उपलब्धता को बढ़ाना तथा इसे कृषि तथा बागवानी के लिए उपलब्ध करवाना है।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ने परियोजना की पर और जानकारी देते हुए बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य 2022 – 23 तक किसानों की आय को दोगुना करने के अतिरिक्त जल संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन के लिए कृषि अनुकूलन क्षमता को बढ़ाना है। मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के अतिरिक्त वर्षा जल संक्षरण के लिए ढांचों को बनाना तथा जल का अधिकतम इस्तेमाल करने के अतिरिक्त जैव भौतिक पर्यावरण को बहाल करना तथा जल विज्ञान की रूपरेखा को तैयार करना भी परियोजना के मुख्य उद्देश्यों में है। समेकित कृषि के साथ कृषि विविधिकरण को लम्बे समय तक बनाए रखने तथा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के अतिरिक्त ग्रामीण आबादी की स्थिरता भी आवश्यक है। समेकित कृषि, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण तथा कृषि के कायाकल्प और जल स्रोतों के प्रबन्धन को बढ़ावा देना एवं वन तथा कृषि को लम्बे समय तक स्थिरता देना परियोजना के अन्य लक्ष्यों में शामिल हैं।

परियोजना के परिणामों की जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि 2.5 लाख छोटे व सीमांत किसानों को सुदृढ़ करना तथा हिमाचल में पांच नदियों तक फैली हुई हिमालयी परिस्थितियों को बनाए रखना भी इस योजना का उद्देश्य है। प्रदेश में इस परियोजना के लागू होने के बाद पर्यावरण परिवर्तन तथा जल की कमी को कम किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से किया 25 रोड़ स्ट्रैचिज को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिसूचित करने का आग्रह

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर प्रदेश की 25 रोड़ स्ट्रैचिज को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिसूचित करने का आग्रह किया। उन्होंने इनके स्तरोन्नय के लिए विकासात्मक कार्यों को भी स्वीकृत करने का आग्रह किया।

उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि 25 स्ट्रैचिज के सरेखण को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और शेष 33 स्ट्रैचिज को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल एक विशेष भौगोलिक स्थितियों वाला पहाड़ी राज्य है और सड़कें इस राज्य की जीवन रेखाएं होने के साथ ही सम विकास सुनिश्चित करने का माध्यम है।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से किरतपुर नेरचौक राजमार्ग पर दोबारा कार्य आरम्भ करने के लिए हस्तक्षेप करने का भी आग्रह किया क्योंकि यह कुल्लू मनाली को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। उन्होंने पठानकोट-मण्डी तथा शिमला-मटोर सड़कों को भारी यातायात के मध्यनजर फोरलेन सड़क बनाने का भी आग्रह किया।

नितिन गडकरी ने इन मामलों पर विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों को मामलों पर उचित कार्रवाही करने तथा प्रगति रिपोर्ट तथा सम्भव समाधानों से उन्हें अवगत करवाने को भी कहा। उन्होंने निर्माण कार्य को सही प्रकार से करना सुनिश्चित बनाने को भी कहा ताकि पहाड़ी राज्य में दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।

विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये 13 महिलाएं सम्मानित

शिमला/शैल। महिलाओं के सक्रिय सहयोग और सहभागिता के बिना एक मजबूत और सशक्त समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में मीडिया समूह दिव्य हिमाचल द्वारा आयोजित 'नारी सम्मान समारोह' की अध्यक्षता करते हुए कही। समारोह का आयोजन राज्य की महिलाओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये उन्हें सम्मानित करने के लिये किया गया था।

महिलाओं को सम्मानित करने के मीडिया समूह के प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा महिलाएं हैं और यदि उन्हें अवसर प्रदान किया जाए तो वे प्रत्येक क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकती है जो समय-समय पर उन्होंने यह साबित कर दिखाया भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए पिछले सात महिनों के दौरान अनेक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि समाज धीरे-धीरे ही सही, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करके उनके सशक्तिकरण के लिए आगे आ रहा है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि महिलाओं को निचले स्तर से सशक्त बनाया जाए और इसके लिए उन्हें उच्चतम स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि लड़कियों के प्रति लोगों को मानसिकता में बदलाव लाने की आवश्यकता है और तभी स्वस्थ समाज की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने उच्च व्यावसायिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए दिव्य हिमाचल की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि लगभग 21 वर्ष की अल्पावधि में दिव्य हिमाचल ने राज्य के पाठकों के दिलों में एक विशेष स्थान बना लिया है।

जय राम ठाकुर ने रेडियो जॉकी शालिनी शर्मा, लोक गायिका वर्षा कटोच, ट्रक चालक नीलकमल, योग शिक्षिका डॉ. गरिमा ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता प्रीति सूद, नृतिका श्रुति गुप्ता, हिमाचल प्रशासनिक अधिकारी कुमुद सिंह, बुनकर मीना कुमारी, टैक्सी चालक रवीना, भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी मोनिका, लेखिका मीनाक्षी चौधरी व सरोज परमार तथा हैंडबाल कोच स्नेह लता को संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया।

खुशी राम बालनाहटा बने नैफस्कॉब के उपाध्यक्ष

प्रदेश सहकारी प्रशिक्षण संस्थान सांगटी शिमला को लगातार छठी बार प्रथम पुरस्कार

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष खुशी राम बालनाहटा को देश के सहकारी बैंकों की राष्ट्र स्तरीय शिखरीय संस्था नैफस्कॉब के मुम्बई में आयोजित आम अधिवेशन व संचालक मंडल की बैठक में सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। बालनाहटा का चयन राष्ट्रीय फेडरेशन के उत्तरी क्षेत्र के तहत आने वाले सहकारी बैंकों के तय जोन से हुआ। इसमें हिमाचल प्रदेश के अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर एवं संघीय क्षेत्र चण्डीगढ़ शामिल हैं। इससे पहले ही अपने अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान बालनाहटा फेडरेशन के निदेशक मंडल में रह चुके हैं।

बालनाहटा ने समस्त निदेशक मंडल का उनको उपाध्यक्ष पद पर चयनित करने के लिए आभार व्यक्त किया है तथा कहा है कि वे सहकारी क्षेत्र से जुड़ी संस्थाओं के विभिन्न विषयों को उचित मंच पर उठाते रहेंगे ताकि प्रदेश में सहकारी आन्दोलन को नई दिशा दी जा सके और सहकारी संस्थाएं आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सके।

बालनाहटा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी बैंकों के क्षेत्र में बेहतर कार्य प्रणाली का परिचय दिया है और सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों की श्रेणी में राज्य ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर प्रदेश का मान बढ़ाया। इस अवसर पर नैफस्कॉब द्वारा हिमाचल प्रदेश सहकारी प्रशिक्षण संस्थान एसीएसटीआई सांगटी शिमला को सर्वश्रेष्ठ गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण कार्य निष्पादन की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंक प्रशिक्षण संस्थान को यह पुरस्कार लगातार छठी बार प्राप्त हुआ है।

उन्होंने बताया कि राज्य सहकारी बैंक प्रशिक्षण संस्थान शिमला नाबार्ड द्वारा संचालित बैंकर्स ग्रामीण विकास संस्थान लखनऊ द्वारा प्रमाणिकतायुक्त संस्थान है, जिसे वर्ष 2016 में ए श्रेणी से अलंकृत किया गया था। यह संस्थान प्रशिक्षण के अलावा बैंकिंग व सहकारिता क्षेत्र में नवीन शोध व परामर्श सेवाएं प्रदान कर कमजोर सहकारी सभाओं के उत्थान के लिए विशेष कार्य कर नई पहचान बनाने में सफल रहा है।

बालनाहटा ने कहा कि राज्य सहकारी बैंक अपनी 218 शाखाओं व 23 विस्तार पटलों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों की आर्थिकी के सुदृढ़ीकरण व उत्थान हेतु घर-द्वार पर समस्त बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों को कम करने के निर्णय को सराहा

* डीलरों के पंजीकरण की सीमा को 10 लाख प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 20 लाख करने के निर्णय का स्वागत

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने केन्द्र सरकार द्वारा डीलरों के पंजीकरण के लिए निर्धारित सीमा को 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने के निर्णय को सराहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार का यह निर्णय प्रदेश के व्यापारियों को राहत प्रदान करने में सहायता करेगा। इसके फलस्वरूप 20 लाख रुपये सालाना से कम के टर्नओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से असम व उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश की कठिन भौगोलिक स्थितियों की दृष्टि से प्रदेश के व्यापारियों के लिए सीमा को बढ़ाने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि अब अधिकांश विशेष श्रेणी राज्यों के डीलर पंजीकरण के लिए निर्धारित की गई 20 लाख रुपये की सालाना की सीमा में शामिल होंगे, जिससे लाखों व्यापारियों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 75 से 80 प्रतिशत व्यापारी छोटे व्यापारी हैं तथा इस निर्णय से उन्हें बेहद लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब तक 92 हजार से भी अधिक डीलरों ने जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण करवाया है तथा इनमें से 80 प्रतिशत से भी अधिक को इस निर्णय के उपरान्त सालाना कम बार रिटर्न भरनी होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय के अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने पांच करोड़ रुपये तक की टर्न ओवर वाली फर्मों को मासिक रिटर्न के स्थान पर तिमाही रिटर्न भरने का निर्णय लिया है। इससे पहले यह सीमा 1.5 करोड़ रुपये थी तथा व्यापारियों को बार-बार रिटर्न भरने मुश्किलें पेश आती थी। इस निर्णय के उपरान्त छोटे उद्योग से जुड़े व्यापारियों को बार-बार रिटर्न भरने के दबाव से राहत मिलेगी। जय राम ठाकुर ने कहा कि वाशिंग मशीन, फ्रिज, मिक्सर, फुटवेयर इत्यादि पर जीएसटी दरें घटाने के निर्णय से मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि सेनेटरी नैपकिन पर जीएसटी माफ करने के निर्णय से महिलाओं के स्वास्थ्य व स्वच्छता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे पूर्व सेनेटरी नैपकिन पर 12 प्रतिशत जीएसटी लागू था।

पहाड़ी राज्यों में खेलों के लिये आधारभूत ढाँचा विकसित करने की आवश्यकता:अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। अनुराग ठाकुर ने लोकसभा की कार्यवाही के दौरान युवाओं का खेल से जुड़ाव सुनिश्चित करने, खेलों में जमीनी प्रतिभा को बढ़ावा देने और इस दिशा में नई नीतियों के निर्माण के लिए संसद में एक प्रश्न उठाया है।

अनुराग ठाकुर ने युवा मामलों और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर के समक्ष खिलाड़ियों के देश के बाहर जाकर ट्रेनिंग लेने की बजाए उन्हें देश में ही बेहतर आधारभूत ढाँचा उपलब्ध करवाने, निचले स्तर पर मौजूद प्रतिभाओं को बाहर निकालने उन्हें सांसद स्टार खेल महाकुम्भ, खेलो इंडिया जैसे और मंच प्रदान करने संबंधी प्रश्नों को उठाया। उन्होंने कॉर्पोरेट क्षेत्र में भी काम कर रहे युवाओं के अंदर खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा विकसित करने की आवश्यकता की भी बात कही।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसी व्यक्ति के समग्र विकास और राष्ट्रनिर्माण में खेलों की अहम भूमिका है। वैश्विक स्तर पर खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन विदेशों में देश का मान बढ़ाता है। लेकिन देखा ये जाता है कि देश में अच्छे ट्रेनिंग सेंटर के आभाव में खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए खर्च करके विदेशों में ट्रेनिंग दिलाई जाती है। विदेशों

में अच्छे ट्रेनर होने का हवाला देकर देशी ट्रेनरों की अनदेखी से यहाँ के ट्रेनरों का हौसला कम होता है। सरकार को हिमाचल और कश्मीर जैसे पहाड़ी और ठंडे राज्यों में ट्रेनिंग सेंटर और आधारभूत ढाँचा विकसित करने की आवश्यकता है जिस से हमारे खिलाड़ियों को बाहर जाने की बजाए अपने देश में ही विश्वस्तरीय प्रशिक्षण मिल सके। सरकार खेल संघों के माध्यम से 'ट्रेंड द ट्रेनर' कार्यक्रम के ज़रिए हमारे अपने ट्रेनरों को प्रशिक्षण देने पर ज़ोर देना चाहिए जिससे देश के अंदर ही खेलों का एक अच्छा माहौल तैयार होने में मदद मिलेगी।

अनुराग ने कहा कि हमारे ग्रामीण और पंचायत स्तर पर बहुत सी अनूठी प्रतिभाएँ मौजूद हैं जो उचित प्लेटफ़ॉर्म और सही मार्गदर्शन के अभाव में सामने नहीं आ पाती। मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में सांसद स्टार खेल महाकुम्भ जैसे आयोजन के माध्यम से युवाओं को खेलों से जोड़ने की मुहिम चला रखी है। सरकार को निचले स्तर पर मौजूद खिलाड़ियों को खेलों की मुख्यधारा में शामिल करने के खेल महाकुम्भ और खेलो इंडिया जैसे आयोजनों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आयोजित करवाने की आवश्यकता है। खेल संघो के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर खेलों का आधारभूत ढाँचा विकसित करने से भविष्य के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने में मदद मिलेगी।

प्रदेश सरकार जल्द बनायेगी नई खेल नीति:गोविन्द सिंह ठाकुर

धर्मशाला /शैल। वन, परिवहन व युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही नई खेल नीति लाई जाएगी। सरकार ने इसके लिए कार्य आरंभ कर दिया है। नई खेल नीति में प्रदेश में खेल के सर्वांगीण विकास से जुड़े सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा। खेल सुविधाओं के विकास पर जोर देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि वहाँ का युवा वर्ग भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सके। वे धर्मशाला के पुलिस मैदान में भारतीय खेल विकास बोर्ड द्वारा आयोजित तीन दिवसीय अंतरराज्यीय चैम्पियनशिप का शुभारम्भ करने के उपरांत बोल रहे थे।

इस तीन दिवसीय अंतरराज्यीय चैम्पियनशिप में देश के 22 राज्यों के लगभग 2000 बच्चे भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में कबड्डी, बैडमिंटन, बास्केट बॉल, क्रिकेट, तीरंदाजी सहित अन्य कई स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी।

गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार प्रदेश के खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार कर रही है तथा इसके लिए खिलाड़ियों को हर तरह से प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ी विभिन्न खेलों में अपने अच्छे प्रदर्शन से प्रदेश व देश का नाम रोशन कर रहे हैं, यह सभी के लिए गौरव की बात है। सरकार खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थी काल में अनुशासन, परिश्रम की आदत बनानी चाहिये ताकि इसका लम्बे समय तक

लाभ मिल सके। उन्होंने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वे खेल को खेल की भावना से खेलें। उन्होंने कहा कि विभिन्न खेल जहां व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण हैं वहीं इनके माध्यम से ऊर्जा का समुचित उपयोग भी संभव होगा।

गोविन्द ठाकुर ने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वे प्रतिस्पर्धा के दौर में कड़ी मेहनत कर हर चुनौती का सामना करने के लिए अपने आपको तैयार रखें। उन्होंने कहा कि आज के दौर में वही आगे बढ़ पाएगा, जिसमें प्रतियोगिता की भावना होगी एवं हर कला में परम्परागत होगा। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ खेल तथा अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में भी बढ़-चढ़ कर भाग लेने का आह्वान किया।

खेल मंत्री ने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उनसे नशे की बुराई से दूर रहने तथा अन्य बच्चों को भी इस बुराई से दूर रहने के लिए प्रेरित करने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां की अधिकांश जनसंख्या युवा है। हमारे युवा भविष्य के निर्माण एवं भारत को विश्व गुरू बनाने के सपने को साकार करेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि युवा अपनी असीमित ऊर्जा को सकारात्मक दिशा प्रदान करें।

गोविन्द ठाकुर ने कहा कि युवाओं को देश का उत्तरदायी नागरिक बनाने एवं उन्हें विभिन्न सामाजिक बुराईयों से दूर रखने के लिए अभिभावकों तथा अध्यापकों को भी अपनी भूमिका का निर्वहन उचित प्रकार से करना होगा। बच्चों को संस्कारयुक्त शिक्षा प्रदान करने में भी शिक्षक अपना योगदान सुनिश्चित करें ताकि बच्चे देश तथा समाज का नाम रोशन कर सकें। उन्होंने कहा कि ग्रेट खली दलीप सिंह राणा ने डब्लयू-डब्लयू एफ में प्रदेश का नाम रोशन किया है।

इस अवसर पर हिमाचल खेल विकास बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष अनिल धमीर तथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं भाजपा के जिला अध्यक्ष संजय चौधरी ने मुख्यातिथि का स्वागत किया तथा बोर्ड की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी।

इस दौरान मुख्यातिथि ने उपस्थित अधिकारियों, समाज सेवियों तथा विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों को सम्मानित किया।

इससे पहले, गोविन्द ठाकुर ने पुलिस मैदान के बाहरी भाग में वन विभाग द्वारा आयोजित पौधरोपण अभियान के तहत अर्जुन का पौधा लगाया तथा उनके साथ-साथ अधिकारियों तथा लोगों ने भी अर्जुन, जामुन और बान आदि के पौधे लगाए।

राज्य सरकार सेब के प्रापण के लिए देगी 258.46 लाख रुपये

शिमला /शैल। राज्य सरकार ने वर्ष 2018 के दौरान राज्य में सेब के प्रापण के लिए मण्डी मध्यस्थता योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी प्रदान की है। यह योजना 20 जुलाई, 2018 से 31 अक्तूबर, 2018 तक कार्यान्वित की जाएगी। मण्डी मध्यस्थता योजना 2,29,136 मीट्रिक टन सेब के प्रापण के लिए क्रियान्वित की जाएगी, जिसके लिए प्रापण मूल्य 7.50 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। हैंडललग चाल्जज 2.75 रुपये प्रति किलोग्राम जबकि अनुमानित बिक्री प्राप्ति 3.50 रुपये प्रति किलोग्राम होगा।

इस योजना के अन्तर्गत फल उत्पादकों की मांग के अनुरूप 279 प्रापण केन्द्र खोले जाएंगे, जिनमें से 162 एकत्रण केन्द्र एचपीएमसी द्वारा जबकि 117 केन्द्र हिमफैड द्वारा खोले तथा संचालित किए जाएंगे, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा 258.46 लाख रुपये की राशि (152.28 लाख एचपीएमसी तथा 105.18 लाख हिमफैड के लिए) प्रदान की जाएगी।

फलों का प्रापण वाष्पन उत्सर्जन तथा श्वसन नुकसान के दृष्टिगत 2.5 प्रतिशत अधिक फलों सहित 35 किलोग्राम की बोरियों में किया जाएगा।

योजना के अन्तर्गत 51 मिली मीटर व्यास से अधिक सेब का ही प्रापण किया जाएगा। खराब छाल अथवा पक्षियों द्वारा खाए गए फलों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कीटों/दवाइयों के कारण दुषित तथा फंफूद बीमारी व स्कैब युक्त फलों को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। एथरोल स्प्रे युक्त फल को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालाकि, ओलावृष्टि से हल्के नुकसान, देखने में खराब व विकृत फलों का प्रापण किया जाएगा।

पट्टा बरौरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य जल्द शुरू: डॉ. सैजल

सोलन /शैल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सहकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि छात्रों को खेल तथा पढ़ाई के मध्य सामंजस्य स्थापित कर अपना भविष्य सुरक्षित करना होगा। डॉ. सैजल सोलन जिले के कसौली विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जाबल जमरोट के

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोटी में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के लड़कों की आंचल स्तरीय खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे।

इस प्रतियोगिता में वॉलीबाल, खो-खो, कबड्डी, बैडमिंटन तथा योग में 19 विद्यालयों के 200 छात्रों ने भाग लिया। डॉ. सैजल ने कहा कि छात्रकाल हमारे भविष्य की नींव है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि शिक्षा के साथ-साथ प्रतिदिन विभिन्न खेलों के लिए भी समय निकालें। उन्होंने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को बधाई दी तथा आशा जताई कि सभी खिलाड़ी जिला तथा प्रदेश स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे।

डॉ. सैजल ने कहा कि प्रदेश सरकार यह प्रयास कर रही है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो, खेतों तक सिंचाई के लिए पर्याप्त जल पहुंचे और पारंपरिक जल स्त्रोतों का रखरखाव हो एवं उन्हें रिचार्ज किया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्र से वर्ष 2000 से पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं के सवंर्द्धन एवं आवश्यकतानुसार पुनः निर्माण के लिए 800 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत करवाई है। वर्षाजल संग्रहण, पेयजल तथा सिंचाई क्षेत्र के लिए 4751 करोड़ रुपए की एक और परियोजना केन्द्र सरकार से स्वीकृत हुई है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 3267 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई है। पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा लगभग 1900 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि 1900 करोड़ रुपये की पर्यटन योजना जहां शिक्षित युवाओं को पर्यटन क्षेत्र में रोजगार एवं स्वरोजगार के बेहतर अवसर दिलाएगी वहीं विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों में सुविधा सृजन में भी सहायक सिद्ध होगी।

डॉ. सैजल ने कहा कि क्षेत्र की ग्राम पंचायत जाबल जमरोट, हरिपुर, जाडली तथा पट्टा बरौरी में आने वाले समय में विकास की बयार बहेगी। उन्होंने कहा पट्टा बरौरी से हरिपुर तक संपर्क मार्ग को पक्का करने पर 1.51 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पावर हाउस से शिमला मार्ग तक संपर्क सड़क को पक्का करने पर 44 लाख रुपये खर्च होंगे। ग्राम पंचायत पट्टा बरौरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य 80 लाख रुपये की लागत से शीघ्र शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाठशाला में परीक्षा हॉल के निर्माण के लिए हाल ही में सांसद प्रो. वीरेंद्र कश्यप ने 3 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। निर्माण के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले छात्रों को अपनी ऐच्छिक निधि से 10 हजार रुपये प्रदान करने की घोषणा की।

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटी के प्रधानाचार्य लक्ष्मण ठाकुर ने विद्यालय में 11वीं तथा 12वीं कक्षा के लिए विज्ञान तथा वाणिज्य की कक्षाएं आरंभ करने की मांग की।

विपिन सिंह परमार करेंगे जन मंच की कार्यक्रम की अध्यक्षता

सोलन /शैल। सोलन जिला का तृतीय जन मंच कार्यक्रम दून विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत चण्डी के वैद्य शंकर लाल मेमोरियल बीएड कॉलेज के प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की

अध्यक्षता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, आयुर्वेद तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री विपिन सिंह परमार करेंगे। यह जानकारी उपायुक्त सोलन विनोद कुमार ने तृतीय जन मंच कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।

उपायुक्त ने कहा कि इस जन मंच कार्यक्रम धर्मपुर विकास खंड के साथ-साथ इसके साथ लगती नालागढ़ विकास खंड की पंचायतों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन मंच में तमाम योजनाओं की पूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित रहे ताकि लोगों की समस्याओं का मौके पर त्वरित समाधान हो सके। विनोद कुमार ने कहा कि दूरदराज क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के उद्देश्य से जन मंच के आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जन मंच के माध्यम से ग्रामीण लोगों की छिटपुट व लंबित समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि उन्हें घर द्वार पर ही शिकायतों का न्यायसंगत, सुलभ, प्रभावपूर्ण व सुगम निवारण प्राप्त हो सके। विनोद कुमार ने कहा जिले में आयोजित किए गए दोनों जन मंच कार्यक्रमों में लंबित पड़ी समस्याओं को एक सप्ताह के भीतर निपटारे के निर्देश दिए।

बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी विवेक चंदेल, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी भानु गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरके दरोच, जिला राजस्व अधिकारी आरडी हरनोट, जिला कार्यक्रम अधिकारी वंदना चौहान तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं मालिक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

उच्च न्यायालय के फैसले पर अमल के लिये सेना की तैनाती किसके रिपोर्ट कार्ड में जुड़ेगी

शिमला/शैल। वनभूमि पर हुए अवैध कब्जों को हटाने का मामला प्रदेश उच्च न्यायालय में वर्ष 2014 से चल रहा है और अब तक 260 याचिकाएं अदालत में इस आश्य की आ चुकी हैं। उच्च न्यायालय यह कई बार स्पष्ट कर चुका है कि एक-एक ईंच अवैध कब्जा हटाया जायेगा। बल्कि इन अवैध कब्जों के परिणामस्वरूप हो रही आय को मनीलॉड्रिंग के परिप्रेक्ष्य में देखने के ईडी तक को निर्देश उच्च न्यायालय दे चुका है। लेकिन उच्च न्यायालय के इन निर्देशों की सरकार और उसके प्रशासन ने कितनी ईमानदारी से अनुपालना की है। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि अदालत ने बड़े अवैध कब्जाधारकों के खिलाफ 25.4.2018 को एसआईटी का गठन किया था और अब 20.7.18 को अवैध कब्जे हटाने के लिये सेना तैनात करनी पड़ी है। सेना तैनात करने की नौबत तब आयी जब कोर्ट मित्र के माध्यम से अदालत के सामने लोगों की यह शिकायत लिखित में की कि प्रशासन बड़े और प्रभावशाली अवैध कब्जाधारकों के खिलाफ तो कोई कारवाई नही कर रहा है। लेकिन छोटे लोगों को ही परेशान कर रहा है। शिकायत में ऐसे 13 लोगों के नाम पूरे विस्तार के साथ दिये गये हैं और आरोप लगाया गया कि प्रशासन इनके साथ मिला हुआ है। ऐसे ही नामों की एक और सूची पहले भी अदालत के संज्ञान में लायी गयी है। जिन लोगों के खिलाफ शिकायत आयी है वह सब तहसील कोटखाई के गांव जालथ, चैथला, पुंगरीश पंडाली, कलेमू और बढ़ाल के निवासी हैं। यह सूची कोर्ट मित्र के माध्यम से अदालत तक आयी है जिससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यह सब सरकार के अपने महाधिवक्ता की जानकारी में नही रहा है और शायद इसी कारण से महाधिवक्ता को अदालत में यह कहना पड़ा कि जो शपथपत्र उन्होनें आज दायर करना था उसके प्रति वह स्वयं ही सतुंष्ट नही हैं। महाधिवक्ता का अदालत में यह कहना अपरोक्ष में उनके सरकार के साथ संवाद संबंधों की ओर भी बहुत कुछ इंगित कर जाता है। सेना की सहायता सामान्यत: तब ली जाती है जब कोई कानून और व्यवस्था का मामला पुलिस बल के नियन्त्रण से बाहर हो जाये। लेकिन उच्च न्यायालय के फैसले की अनुपालना करने के लिये सेना की सहायता लेनी पड़ी तो इसके कई मायने निकलते हैं।

अदालत ने साफ कहा है कि सरकार और प्रशासन को उसका फैसला अक्षरश: मानना ही होगा या तो वह इसके खिलाफ अगली अदालत में जाये। सरकार या कोई अन्य इस संद्धर्भ में सर्वोच्च न्यायालय में तो गया नही है। इसलिये उच्च न्यायालय के फैसले पर अमल करने की बजाये और कोई विकल्प नही रहा जाता। यहां तो प्रशासन पर स्पष्ट शब्दो में यह आरोप लगा है कि वह प्रभावशाली लोगों के साथ मिला हुआ है। किसी भी सरकार और उसके तन्त्र पर इससे बड़ा कोई आरोप नही हो सकता है। प्रशासन में यह स्थिति कैसे आ जाये की वह उच्चन्यायालय के फैसले पर अमल करने मे इस तरह से हिचकिचाये। उच्च न्यायालय प्रशासन के इस रूख का क्या संज्ञान लेता है यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा लेकिन इतना तय है कि इसके परिणाम गंभीर होंगे। ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि क्या वन विभाग के अधिकारियों ने अपने ही स्तर पर इस तरह की हिमाकत कर दी या उस पर कोई बड़ा दवाब रहा है। वन विभाग के सूत्रों के मुताबिक विभाग के प्रमुख पर इस दिशा में Go slow का दवाब डाला जा रहा था बल्कि प्रमुख के बाद दूसरे बड़े अधिकारी पर भी शीर्ष से यह दबाव रहा है। अब जब उच्च न्यायालय की सख्ती सामने आयेगी ता निश्चित रूप से यह सब चर्चा में आ जायेगा। सेना की तैनाती से न केवल प्रशासन की कार्य प्रणाली बल्कि स्वयं सरकार की नीयत और नीति पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है।

पिछले दिनों मुख्यमन्त्री ने एक साक्षात्कार में कहा था कि वह मंत्रीयों के रिपोर्ट कार्ड पर नज़र रखे हुए हैं। इस साक्षात्कार के बाद मुख्यमन्त्री दिल्ली जाकर पार्टी प्रमुख अमितशाह से मिलकर आये हैं। इस मुलाकात के बाद प्रदेश मन्त्रीमण्डल में फेरबदल की चर्चाएं शुरू हो गयी हैं। कहा जा रहा है कि एक दो मन्त्रीयों की छुट्टी भी हो सकती है। सिरमौर और हमीरपुर को मन्त्रीमण्डल में जगह मिल सकती है। कुछ मन्त्रीयों के विभागों में फेरबदल हो सकता है। यह चर्चाएं कितनी सही साबित होता हैं यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। लेकिन इसी बीच यह भी सामने आ रहा है कि कुछ मंत्रियों के ओएसडीयों का अपने ही कार्यालयों में कोई बहुत अच्छा तालमेल नही चल रहा है। इस संद्धर्भ में शिक्षामन्त्री, सहकारिता मन्त्री और स्वयं मुख्यमन्त्री का कार्यालय तक चर्चा में हैं। मुख्यमन्त्री के कार्यालय और आवास में तैनात अधिकारी मुख्यमन्त्री से दूरभाष पर संपर्क तक नही करवाते हैं यह चर्चाएं भी अब सुनने को मिलने लगी हैं। बहुत सारी चीजें मुख्यमन्त्री के संज्ञान में आ ही नही पाती हैं। उनके कार्यालय में समय लेकर उनसे मिलने की सुचारू व्यवस्था अब तक नही बन पायी है। ऐसा माना जा रहा है कि शीर्ष प्रशासन कई मसलों पर उन्हें सही जानकारी ही नही दे पा रहा है। इसी का परिणाम था कि जब हरियाणा के राज्यपाल ने हिमाचल का कार्यभार संभाला तब उनके शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमन्त्री शामिल नही हो पाये। ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि राज्यपाल के शपथ ग्रहण में मुख्यमन्त्री शामिल नही हो पाये हैं। प्रदेश में मुख्यमन्त्री और सरकार के बिना राष्ट्रपति शासन लग जाता है अर्थात मुख्यमन्त्री के बिना प्रदेश हो सकता है लेकिन राज्यपाल के बिना नही। राष्ट्रपति भवन से राज्यपाल के शपथ ग्रहण के लिये जो प्रोटोकॉल जारी है उसके अनुसार मंच पर मुख्यमंत्री राज्यपाल (जिसकी शपथ होनी है) और मुख्यन्यायाधीश जिसने शपथ दिलानी है इन्ही तीन के बैठने के लिये चेयर लगाई जाती हैं। मुख्यमन्त्री के अतिरिक्त कोई दूसरा मन्त्री मंच पर बैठने को अधिकृत नही है इससे स्पष्ट है कि राज्यपाल के शपथ ग्रहण में मुख्यमन्त्री का रहना अनिवार्य है लेकिन इस अवसर पर मुख्यमन्त्री के स्थान पर शिक्षा मन्त्री को बैठाया गया जो कि प्रोटोकॉल की अवेहलना थी। इससे भी प्रशासन को लेकर कोई सकारात्मक संदेश नही जा पाया है।

इस तरह आज अवैध निर्माणों से लेकर अवैध कब्जों तक के मामलों में प्रशासन को लेकर कोई ठोस संदेश नही जा पाया है। कसौली में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर अमल करने में गोली चल गयी दो लोगों की मौत हो गयी अब उच्च न्यायालय के फैसले पर अमल करने के लिये सेना बुलानी पड़ी है। ऐसे में जब मन्त्रीयों के रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा होगी तब इन मामलों को किसके रिपोर्ट कोर्ड में जोड़कर देखा जायेगा । इसका अनुमान लगाया जा सकता है।

क्या न्यू शिमला में भू उपयोग बदला जा सकता है उच्च न्यायालय के सामने उठा सवाल

शिमला/शैल। न्यू शिमला आवासीय हाऊसिंग कॉलोनी का प्रारूप जब सार्वजनिक प्रचारित एवम् प्रसारित किया था तब यहां पर ग्रीन एरिया, पार्क और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के लिये अलग से विशेष भूस्थल चिन्हित किये गये थे। क्योंकि यह कालोनी विशुद्ध रूप से आवासीय कालोनी घोषित की गयी थी। यह प्रदेश की दूसरी आवासीय कालोनी थी जो पूरी तरह सैल्फ फाईनसिंग से वित्त पोषित थी। इसी आधार और आशय से इसका विकास प्रारूप तैयार किया था। इसी कारण से इस कॉलोनी के लिये अधिगृहित भूमि के एक-एक ईंच हिस्से की कीमत इसके आंबटितों से ली गयी है जिसमें सड़क, सीवरेज, पेयजल, ग्रीन एरिया, पार्क तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाएं शामिल हैं। इन सारी सुविधाओं की कीमत वसूलने के कारण ही 83.84 लाख में खरीदी गयी ज़मीन आबंटितों को 9.10 करोड़ में दी गयी है। कॉलोनी में पूरी सैल्फ फाईनैंस होने के कारण यहां की हर सुविधा पर आबंटितों का मालिकाना हक हो जाता है। कॉलोनी विशुद्ध रूप से आवासीय होगी यही खरीददारों के लिये सबसे बड़ा आकर्षण था। क्योंकि इसमें व्यवसायिक दुनिया की हलचल और शोर शराबा नही होगा। एकदम शान्त वातावरण रहेगा इसलिये यह वरिष्ठ नागरिकों की पसन्द बना।

लेकिन जब यहां पर व्यवहारिक रूप से लोगों ने प्लॉट/ मकान खरीदने बनाने शुरू किये तब आगे चल कर यह सामने आने लगा कि जो भू-स्थल ग्रीन एरिया और पार्क आदि के लिये रखे गये थे वहां पर कई जगह भू उपयोग बदल कर उसे दूसरे उद्देश्यों के लिये प्रयुक्त कर लिया गया। इस तरह भू उपयोग बदले जाने से कॉलोनी का आवासीय चरित्र ही बदल गया। जब इसके लिये ज़मीन का अधिग्रहण 1986 में किया गया तब ऐजैन्सी साडा थी। साडा बाद में बदलकर नगर विकास प्राधिकरण बन गया। फिर नगर विकास प्राधिकरण का विलय हिमुडा में हो गया और अब हिमुडा से इसे शिमला नगर निगम को दे दिया गया है। यह सारी ऐजैन्सीयां कानून की नज़र से इस कॉलोनी की ट्रस्टी हैं मालिक नही। भू उपयोग बदले जाने के जितने भी मामले घटित हुए हैं वह सब इन्ही ऐजैन्सीयों ने किये। अब नगर निगम शिमला भी यहां पर ''विकास के नाम से कई निर्माण कार्य करवा रही है इस तरह के कार्यो से जब यहां का आवासीय चरित्र बदलने लगा तब आबंटितों ने इस ओर ध्यान देना शुरू किया और भू-उपयोग बदले जाने के मामले सामने आने लगे। इसका संज्ञान लेते हुए आबंटितों ने वाकायदा एक अपनी रैजिडैन्ट वैलफेयर सोसायटी का सैक्टर वाईज़ गठन कर लिया और फिर सारी ईकाईयों न मिलकर एक शीर्ष संस्था का गठन कर लिया है।

इसी दौरान इन मुद्दों पर 2012 में प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर हो गयी है। इसी याचिका की सुनवाई के दौरान यहां पर चल रही विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों की ओर से उच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित हुआ। उच्च न्यायालय ने सबंद्ध प्रशासन से इस बारे में रिपोर्ट तलब की। प्रशासन ने जब इस संबंध में जांच शुरू की तो सैकड़ो ऐसे मामले सामने आये जहां पर प्रशासन से भू उपयोग बदलने की अनुमति लिये बिना ही व्यवसायिक गतिविधियां चल रही थी। इसका कड़ा संज्ञान लेकर ऐसे भवनों के बिजली, पानी के कनैक्शन तक काटे गये। भू उपयोग बदलकर ग्रीन एरिया को पार्कों में बदलने और इसके लिये पेड़ों को काटे जाने के तथ्य जब उच्च न्यायालय के सामने आये थे तब उच्च न्यायालय ने यहां निर्माणों पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। लेकिन इस प्रतिबन्ध के बाद भी यहां पर दो ब्लाक बनाकर बेच दिये गये। ग्रीन एरिया में रद्दोबदल कॉलोनी के सैक्टर 1,2,3 और 4 में सामने आये हैं। यह आरोप नगर मिला पर लगे हैं जो याचिका में प्रतिवादी नम्बर 5 हैं। इन आरोपों का संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने यह रोक लगा दी थी कि अदालत की अनुमति के बिना यहां के खाली/ग्रीन और कामन एरिया में कोई भी निर्माण न किया जाये। लेकिन नगर निगम ने यहां पर अभूत योजना और मर्जड एरिया ग्रांट के नाम पर मिले धन से कई निर्माण कार्य शुरू करवा रखे हैं। इन सारे कार्यो को ठेकेदारों के माध्यम से करवाया जा रहा है। निगम ने इन कार्यो की बाकायदा सूचियां अदालत में दे रखी हैं।अब अदालत के आदेश से बन्द किये गये इन कार्यो को पुन: शुरू करवाने के लिये उच्च न्यायालय में गुहार लगा रखी है।

नगर निगम पर आरोप है कि उसने भू-उपयोग को बदला है निगम द्वारा कार्यो की सूची अदालत में रखना कानून की नज़र में इस आरोप को स्वत: ही स्वीकार करना बन जाता है यदि उच्च न्यायालय निगम को यह कार्य पूरे करने की अनुमति दे देता है तो इसका अर्थ यह होगा कि अदालत ने भी भू उपयोग बदलने की अपरोक्ष में अनुमति दे दी। दूसरी ओर याचिकाकर्ता का निगम पर आरोप है कि 1998 से लेकर आज तक निगम ने एक पेड़ तक यहां नही लगाया है। धन का दुरूप्योग किया जा रहा है। बल्कि अदालत के आदेशों की अनुपालना नही की जा रही है। जो निर्माण/विकास कार्य किये जा रहे हैं वह डवैल्पमैन्ट प्लान के अनुरूप नही बल्कि प्लान पारूप की धारा 26, 27 की अवेहलना के कारण दण्डनीय बन जाते हैं। उच्च न्यायालय में आज तक डवैल्पमैन्ट प्लान पेश नही किया गया है। ऐसे में यह और भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि जब प्लान ही नही है तो फिर निर्माण किस आधार पर हो रहा है। नगर निगम तो नियोजक की भूमिका में है न कि विकासिक की। फिर भू उपयोग को बदलना तो याचिकाकर्ता के अनुसार उच्च न्यायालय के भी अधिकार क्षेत्र में नही है फिर नगर निगम किसी अन्य ऐजैन्सी का तो सवाल ही पैदा नही होता। ऐसे में यदि नगर निगम भू उपयोग बदलने के लिये अधिकृत ही नही है तब तो उसके द्वारा किये गये कार्यो की सूची स्वत: ही अदालत के सामने रखना अन्तत: निगम प्रशासन के गले की फांस बन सकता है।